


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2013/अग्रहायण 7, 1935

No. 584]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2013/AGRAHAYANA 7, 1935

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2013

सा.का.नि. 758 (अ).—केन्द्र सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय रेशम बोर्ड (समेकित) भर्ती नियम, 1989 जहां तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, उप निदेशक (रीलिंग और कताई), सहायक निदेशक या ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, सहायक निदेशक या ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (रीलिंग और कताई), ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक और ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक (रीलिंग और कताई) पदों से संबंधित है को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, के अधीन निगमित निकाय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड में वैज्ञानिक 'ख', 'ग' और 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वैज्ञानिक समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

- (क) "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) अभिप्रेत है;
- (ख) "नियुक्त प्राधिकारी" से केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 28 के उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "निर्धारण समिति" से नियम 11 के उपनियम (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (घ) "आंतरिक छानबीन समिति" से नियम 10 उपनियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;
- (ङ.) "बोर्ड" से केन्द्रीय रेशम बोर्ड अभिप्रेत है;
- (च) "पदावास अवधि" से वैज्ञानिक पद की किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी में अर्हक सेवा की अवधि अभिप्रेत है जिसे उच्च श्रेणी में स्वस्थान प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है;
- (छ) "वेतन बैंड या ग्रेड वेतन" से समय-समय पर यथा पुनरीक्षित किसी वैज्ञानिक पद के लिए स्वीकृत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान अभिप्रेत है;
- (ज) "पद" से नियम 3 के उपनियम (1) के स्तंभ (2) के अधीन यथावर्गीकृत वैज्ञानिकों के पद अभिप्रेत है;
- (झ) "चयन समिति" से नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है ।

टिप्पणी-सभी अन्य शब्द और संक्षेपाक्षर जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, उनके किन्तु केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) और उसके अधीन बनाए गए समय-समय पर यथासंशोधित नियमों में दिए गए अर्थ और परिभाषाएं या निर्वचन होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—(1) पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे उपाबद्ध वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान नीचे दिए गए के अनुसार होंगे:—

क्रम सं.	पद का वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान
1	2	3	4
1.	वैज्ञानिक -'ख'	168	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए
2.	वैज्ञानिक -'ग'	497	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए
3.	वैज्ञानिक -'घ'	60	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए
	योग	725	

(2) उपांतरित नमनीय मानार्थ स्कीम के अधीन विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर राजपत्र अधिसूचना के परिवर्तनों के अधीन प्रकाशन की तारीख को सभी कैडरों में कुल स्वीकृत पद 725 हैं ।

(3) कुल स्वीकृत पदों के पांच प्रतिशत वैज्ञानिक-‘ग’ स्तर पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षित होंगे ।

4. भर्ती मानक—पद चयन पद हैं । उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें निम्नानुसार होंगी :

क्रम सं.	पदनाम, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	अर्हताएं	अपेक्षित क्षेत्र/ विषय में न्यूनतम अनुभव	आयु-सीमा
1	2	3	4	5
1.	वैज्ञानिक-‘ख’ वेतन बैंड-3, 15600- 39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए	अर्हता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में स्नातक या वस्त्र प्रौद्योगिकी में तकनीकी स्नातक टिप्पणी-विशिष्ट क्षेत्र में, जिसमें मास्टर डिग्री की अपेक्षा है किसी रिक्ति को प्रत्येक बार अधिसूचित करते समय विनिर्दिष्ट करना होगा*	लागू नहीं	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं
2.	वैज्ञानिक-‘ग’ बैंड -3, 15600- 39100 + ग्रेड वेतन 6600 रुपए	आवश्यक अर्हता: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में स्नातक या वस्त्र प्रौद्योगिकी में तकनीकी स्नातक वांछनीय अर्हता: इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या वस्त्र प्रौद्योगिकी की प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या कृषि विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट डिग्री टिप्पणी- विशिष्ट क्षेत्र में, जिसमें डिग्री या अनुभव की अपेक्षा है किसी रिक्ति को प्रत्येक बार अधिसूचित करते समय विनिर्दिष्ट करना होगा	अनुसंधान तथा विकास और/या किसी शैक्षणिक संस्था और/या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संगठन में कृषि या वस्त्र प्रौद्योगिकी में चार वर्ष का अनुभव । वस्त्र प्रौद्योगिकी में दो वर्ष का अनुभव कृषि विज्ञान में एक वर्ष का अनुभव लागू नहीं होता	चालीस वर्ष से अधिक नहीं
3.	वैज्ञानिक-‘घ’ वेतन बैंड -3, 15600- 39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए	आवश्यक अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में स्नातक या वस्त्र प्रौद्योगिकी में तकनीकी स्नातक वांछनीय अर्हता: इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या वस्त्र प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या	अनुसंधान तथा विकास और/या किसी शैक्षणिक संस्था और/या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संगठन में कृषि या वस्त्र	पचास वर्ष से अधिक नहीं

		कृषि विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट डिग्री टिप्पणी - विशिष्ट क्षेत्र में, जिसमें डिग्री की अपेक्षा है किसी रिक्ति को प्रत्येक बार अधिसूचित करते समय विनिर्दिष्ट करना होगा * होगा *	प्रौद्योगिकी में सात वर्ष का अनुभव । वस्त्र प्रौद्योगिकी में पांच वर्ष का अनुभव कृषि विज्ञान में चार वर्ष का अनुभव कृषि प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का अनुभव	
--	--	---	--	--

टिप्पणी: (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों या स्वायत्त निकायों या लोक उपक्रम के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक स्थिल की जा सकती है ।

(2) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(3) अनुभव की अवधि अपेक्षित विद्या या कार्य के क्षेत्र में उक्त श्रेणी में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने की तारीख से प्रभावी रूप में प्रगणित होगी ।

5. भर्ती की पद्धति.—(1) भर्ती या तो सीधी भर्ती या समामेलन या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर की जाएगी और प्रत्येक पद के लिए भर्ती की विशिष्ट रीति कार्य की अपेक्षा के अनुसार पद को विज्ञापित करने से पहले विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव बोर्ड के अनुसार प्रत्येक पद की भर्ती की विशिष्ट रीति होगी ।

(2) भूतपूर्व सैनिक - प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन

(3) केन्द्रीय या राज्य या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या अर्धसरकारी कानूनी या भारत में या भारत से बाहर स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक समामेलन या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन भर्ती हो सकेंगे, अर्थात्:—

(i) वैज्ञानिक नियम 4 में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों; और

(ii) वैज्ञानिक आवेदित पद के सदृश पद धारण करते हों या

(क) वैज्ञानिक-‘ग’ के लिए: वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए +ग्रेड वेतन 5400 रुपए या समतुल्य पद में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) वैज्ञानिक-‘घ’ के लिए: वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपए +ग्रेड वेतन 6600 रुपए या समतुल्य पद में पांच वर्ष की सेवा की हो;

- (iii) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- (iv) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो स्वस्थाने प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।
- (v) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

6. सीधी भर्ती के लिए चयन समिति.—(1) चयन समिति या निर्धारण बोर्ड: नियमों के अधीन आने वाले पदों की सीधी भर्ती के लिए चयन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :

अध्यक्ष : सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड या उसके नाम निर्देशिती ।

सदस्य : (i) भारत सरकार के अन्य वैज्ञानिक संगठन के वैज्ञानिक-‘ड’ के स्तर से अन्यून दो विशेषज्ञ;

(ii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक-‘घ’ के स्तर का एक विशेषज्ञ;

(iii) उप सचिव या निदेशक की पंक्ति के वस्त्र मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती ।

(2) सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, चयन समिति या निर्धारण बोर्ड की संरचना का अनुमोदन प्राधिकारी होगा । चयन समिति, जिनसे वह गठित होगी, के सदस्य, उस पद से कम से कम एक स्तर के ऊपर के होंगे, जिसका चयन किया जाना है ।

(3) चयन समिति या निर्धारण बोर्ड की सिफारिशों का अनुमोदन प्राधिकारी केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 28 के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट नियुक्त प्राधिकारी होगा ।

(4) चयन समिति या निर्धारण बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति चार सदस्य होंगे जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी होगा । अध्यक्ष से भिन्न निर्धारण बोर्ड के किसी सदस्य की अनुपस्थिति निर्धारण बोर्ड की कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी ।

(5) महिला सदस्यों और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेश लागू होंगे ।

(6) चयन समिति या निर्धारण बोर्ड यथाविज्ञापित प्रत्येक पद या पदों के समूह के लिए योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों के पैनल की सिफारिश करेगा। पैनल एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और विज्ञापित नियुक्तियों की संख्या में विस्तार के लिए केवल चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने के लिए प्रभावी होगा। यदि कोई अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों जिसे नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया है, अधिसूचित रिक्तियों से विस्तार होने तक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है/करते हैं या नियत तारीख को पद ग्रहण नहीं करता है/करते हैं तो पैनल के अगले अभ्यर्थी को पद का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

(7) रिक्तियां जिनके लिए चयन अपेक्षित है सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विनिश्चित होंगी। रिक्तियां केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर द्वारा विज्ञापित होंगी।

7. परिवीक्षा - (1) चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे जो प्रत्येक अवसर पर अधिकतम छह माह की अवधि के लिए दो बार विस्तारयोग्य होगी।

(2) परिवीक्षा की अवधि पूर्ण होने या इसके विस्तार होने पर वैज्ञानिक, यदि उपयुक्त पाए जाते हैं, पदों पर पुष्ट होंगे, यदि वे प्रवेश श्रेणी में पहले से ही पुष्ट नहीं हैं।

8. स्थानांतरण -बोर्ड की सेवा में सभी वैज्ञानिक भारत में कहीं भी सेवा के लिए दायी होंगे।

9. निर्धारण और प्रोन्नति -(1) इन नियमों के अधीन वैज्ञानिकों की एक श्रेणी से अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति समय-समय पर यथापुनरीक्षित भारत सरकार के का.जा. सं.एबी-14017/37/2008-स्था.(आरआर) तारीख 10.09.2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त का.जा. कहा गया है) के निबंधनों में उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम के आधार पर बनाई जाएगी। एक श्रेणी से अगली उच्च श्रेणी में किसी वैज्ञानिक की प्रोन्नति पर, संबंधित वैज्ञानिक को कार्मिक के रूप में स्वतः उच्च श्रेणीकृत पद पर होगा और अधिवर्षिता के पश्चात् पद उस श्रेणी में उन्हें वापस हो जाएगा जिसमें वो आरंभिकतः चिन्हित पद था।

(2) उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए निर्धारण सन्नियम वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के मूल्यांकन पर जोर देने के साथ कठोर होंगे जिससे कि केवल वैज्ञानिकों की जो उनके विश्वसनीय प्रदर्शनयोग्य उपलब्धियों या तकनीकी योग्यता का उच्च स्तर उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन सिफारिश की जाएगी।

(3) बिना किसी निर्बंधनों के वैज्ञानिक पद पूर्ण अंतरपरिवर्तनीय योग्य होंगे, सिवाय वैज्ञानिक-‘ख’, ‘ग’ और ‘घ’ पदों की कुल मिलाकर स्वीकृत पदों की कुल संख्या से अधिक नहीं होंगे।

(4) वैज्ञानिक-‘ख’, ‘ग’ और ‘घ’ के स्तर की सभी प्रोन्नति निम्नलिखित आधार पर होगी:

(i) उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन उच्च श्रेणीकरण के लिए मानदंड तुलना में वार्षिक कार्य रिपोर्टों रिपोर्टों के मूल्यांकन के लिए नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार गठित आंतरिक छानबीन समिति द्वारा आरंभिक छानबीन; और

(ii) नियम 11 के उपनियम (1) के अनुसार गठित निर्धारण समिति द्वारा निर्धारण और मौखिक परीक्षा।

(5) अगली उच्च श्रेणी में निर्धारण को विचार करने के लिए किसी श्रेणी में पूर्ण करने के लिए न्यूनतम पदावास की अवधि पूर्ण करनी होगी जो नीचे दी गई है :

वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	पदनाम	कार्य से संबद्ध न्यूनतम पदावास की अवधि
वेतन बैंड-3 5400 रूपए 15600-39100 रूपए	वैज्ञानिक -'ख'	3 वर्ष
वेतन बैंड-3 6600 रूपए 15600-39100 रूपए	वैज्ञानिक -'ग'	4 वर्ष
वेतन बैंड-3 7600 रूपए 15600-39100 रूपए	वैज्ञानिक -'घ'	

(6) उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम के उपबंधों के अनुसार सभी पात्र वैज्ञानिक उक्त कार्यालय जापन के उपाबंध 1 के निर्बंधनों में और जो वैज्ञानिक-'ग' के लिए 'अच्छा' और वैज्ञानिक-'घ' और ऊपर के लिए 'बहुत अच्छा' तल चिहनों को पूरा करते हों, छानबीन होगी। आंतरिक छानबीन समिति रिपोर्टिंग रूप विधान के भाग 'ग' में वैज्ञानिकों के कार्यों की रिपोर्ट आंतरिक छानबीन समिति करेगी जिसे निर्धारण समिति को उपलब्ध कराएगी।

(7) उत्कृष्ट श्रेणी रखने वाले असाधारण मेधावी अभ्यर्थियों को निर्धारण समिति की सिफारिशों पर पदावास अवधि आधार को शिथिल करने के लिए विचार किया जाएगा। किसी एक अवसर में एक वर्ष के लिए शिथिल होगा और इसकी सीमा अधिकतम उनके पूरे कैरियर में दो अवसर होगी। तथापि, अगली श्रेणी के लिए उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन निर्धारण तीन बार होगा और उसके पश्चात् वैज्ञानिक उक्त स्कीम के उपबंधों के अनुसार उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन होंगे। वैज्ञानिक जिन्हें उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन कोई श्रेणी प्रदान की जाती है उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम की पात्रता और अन्य उपबंधों के अनुसरण में उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन अगली श्रेणी के लिए विचारणीय हो सकेंगे।

(8) आंतरिक छानबीन समिति और निर्धारण समिति द्वारा प्रोन्नति के लिए पुनर्विलोकन प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी और 1 जुलाई से पहले किसी वर्ष में दो बार होंगे।

10. निर्धारण और प्रोन्नति के लिए आंतरिक छानबीन समिति-(1) सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड लघु सूची के लिए विहित पदावास अवधि पूरा करने वाले सभी वैज्ञानिकों के वार्षिक कार्य रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक अनुपालन निर्धारण रिपोर्ट और अन्य संबंधित अभिलेखों के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक मामले में एक आंतरिक छानबीन समिति गठित करेगी।

(2) आंतरिक छानबीन समिति में निम्नलिखित होंगे:

- (i) निदेशक, केन्द्रीय रेशम बोर्ड - अध्यक्ष
- (ii) एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य
- (iii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड प्रशासन का एक ज्येष्ठ अधिकारी - संयोजक

11. निर्धारण और प्रोन्नति के लिए निर्धारण समिति-(1) सदस्य सचिव, एक निर्धारण समिति गठित करेगा जो ऐसे अभ्यर्थियों के कार्यों का निर्धारण करेगी जो उनकी प्रोन्नति के लिए आंतरिक छानबीन समिति की सिफारिशों के अनुसार छानबीन में अर्हित होंगे। निर्धारण समिति ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी जो ऐसे पद से कम से कम एक स्तर ऊंचे होंगे जिनका चयन किया जाना है।

(2) निर्धारण समिति की संरचना निम्नलिखित से होगी:

- | | |
|--|-----------|
| (i) कोई ख्याति प्राप्त बाह्य विशेषज्ञ | - अध्यक्ष |
| (ii) सरकार के अन्य वैज्ञानिक संगठनों से दो विशेषज्ञ | - सदस्य |
| (iii) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अनुसंधान संस्थान का कोई निदेशक | - सदस्य |
| (iv) उपसचिव या निदेशक पंक्ति का वस्त्र मंत्रालय का कोई नामनिर्देशिती | - सदस्य |

(3) निर्धारण समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति चार सदस्य होंगे जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष के सिवाय निर्धारण समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति निर्धारण समिति की कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी।

(4) सभी वैज्ञानिक जो छानबीन किए गए हैं निर्धारण समिति द्वारा किसी मौखिक परीक्षा के लिए बुलाने होंगे। निर्धारण समिति कार्य के वैज्ञानिक विषय-वस्तु की निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र समकक्ष समूह के लक्षण का होगा। निर्धारण समिति उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन विचार के लिए योग्यता के न्यायोचित किए गए कार्यों की विशेष विषयवस्तु एक पृष्ठ के सारांश के माध्यम से एक विनिर्दिष्ट दस्तावेज होगा।

(5) समिति द्वारा किए गए सिफारिश वैज्ञानिक 'प्रोन्नति के लिए उपयुक्त', यथास्थिति, 1 जनवरी या 1 जुलाई से इस प्रकार प्रोन्नत होंगे। वैज्ञानिक जो 'प्रोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं' पाए जाते हैं और छानबीन में भी अर्हित नहीं हैं एक वर्ष के अंतराल के पश्चात् आंतरिक छानबीन समिति द्वारा यदि वह पुनः सिफारिश किए जाते हैं तो विचार किए जा सकेंगे। जो प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, की प्रोन्नति की प्रभावी तारीख नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारण समिति की सिफारिशों के अनुमोदन के पश्चात् कोई आगामी तारीख होगी और उपांतरित नमनीय पूरक स्कीम के अधीन किसी भी मामले में भूतलक्षी प्रोन्नति अनुज्ञेय नहीं होगी।

(6) निर्धारण समिति की सिफारिशों का अनुमोदन प्राधिकारी केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 28 के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट नियुक्त अधिकारी होगा।

(7) (i) जहां कोई पात्र वैज्ञानिक विदेशी सेवा में या भारत में या भारत से बाहर अध्ययन छुट्टी पर है, उस दशा में केन्द्रीय रेशम बोर्ड में कर्तव्य के पुनःप्रारंभ की तारीख से विचारणीय होगा और वित्तीय लाभ उसी तारीख से उदभूत होंगे।

(ii) मूल नियम 51 के अधीन भारत में या भारत से बाहर प्रशिक्षण या प्रतिनियुक्ति कर रहे किसी अधिकारी की दशा में उस मामले में अपेक्षित पदावास की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् स्वस्थाने प्रोन्नति विचारणीय होगी।

12. वैज्ञानिक जो निलंबन के अधीन हैं/या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां लंबित हैं, के निर्धारण के लिए प्रक्रिया-वैज्ञानिक जो निलंबन के अधीन हैं/या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां लंबित हैं, का निर्धारण मुहरबंद लिफाफे (प्रक्रिया के अनुसार) में रखना होगा।

13. शिथिल करने की शक्ति-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तिओं की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. व्यावृत्त्य इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

15. निर्वचन-इन नियमों के निर्वचनों से संबंधित कोई प्रश्न केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित होगा।

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th November, 2013

G.S.R. 758 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) and in supersession of the Central Silk Board (Consolidated) Recruitment Rules, 1989, insofar as they relate to the posts of Joint Director, Deputy Director, Deputy Director (Reeling & Spinning), Assistant Director or Senior Research Officer, Assistant Director or Senior Research Officer (Reeling & Spinning), Senior Research Assistant and Senior Research Assistant (Reeling & Spinning), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Scientists 'B', 'C', and 'D' in Central Silk Board, a body corporate under the Ministry of Textiles, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These Rules may be called the Ministry of Textiles, Central Silk Board, Scientist Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these Rules, unless the context otherwise requires:

- (a) "Act" means the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) as amended from time to time;
- (b) "Appointing Authority" means the authority as specified in sub-rule (1) of rule-28 of the Central Silk Board Rules, 1955;
- (c) "Assessment Committee" means the Committee constituted under sub-rule (1) of rule 11;
- (d) "Internal Screening Committee" means the Committee as specified under sub-rule (1) of rule 10;
- (e) "Board" means the Central Silk Board;
- (f) "Residency period" means the period of qualifying service in a specific grade of scientist post which is considered for in-situ promotion to the next higher grade;
- (g) "Pay band or grade pay" means the pay band and grade pay or pay scale sanctioned for a scientific post as revised from time to time;
- (h) "Post" means the post of scientists as classified under Column (2) of sub-rule (1) of rule 3;
- (i) "Selection Committee" means the Committee as specified under sub-rule (1) of rule 6.

Note: All other words and abbreviations, which are not defined under these rules, shall have the same meaning and definition or interpretation as given in the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) and rules made thereunder as amended from time to time.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- (1) The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as under :

Serial Number	Classification of the post	Number of posts	Pay band and grade pay or pay scale
1	2	3	4
1.	Scientist-'B'	168	Pay Band-3 ₹ 15600-39100 plus grade pay of ₹ 5400
2.	Scientist-'C'	497	Pay Band -3 ₹ 15600-39100 plus grade pay of ₹ 6600

3.	Scientist-`D`	60	Pay Band -3 ₹ 15600-39100 plus grade pay of ₹ 7600
	Total	725	

(2) Total sanctioned posts in all the cadres is 725 as on the date of publication of the Gazette notification subject to change from time to time at various levels under Modified Flexible Complementing Scheme.

(3) Five per cent of the total sanctioned posts shall be reserved for direct recruitment at the level of Scientist-`C`.

4. Recruitment norms.—The posts are selection posts. The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters connected therewith shall be as under:

SCHEDULE

Serial Number	Designation, pay band and grade pay or pay scale	Qualifications	Minimum experience in required area/ discipline	Age limit
1	2	3	4	5
1.	Scientist-`B` Pay Band -3 ₹ 15600 39100 plus grade pay of ₹ 5400	Qualification: Master's degree in Science or Master's degree in Agricultural Sciences or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Textile Technology from a recognised University. Note : The particular field in which Master's degree is required will be specified each time a vacancy is notified	Not applicable	Not exceeding thirty five years
2.	Scientist-`C` Pay Band -3 ₹ 15600 39100 plus grade pay of ₹ 6600	Essential Qualification: Master's degree in Science or Master's degree in Agriculture Sciences or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Textile Technology from a recognised University. Desirable Qualification: Master of Engineering or Master of Technology in Textile Technology OR Doctorate degree in Agricultural Sciences OR Doctorate degree in Engineering or Technology Note: The particular field in which degree or the experience is required will be specified each time a vacancy is notified.	Four years' experience in Research and Development and/or academic Institutions and/ or Science and Technology organisations in Agriculture or Textile Technology. Two years' experience in Textile Technology. One year experience in Agricultural Sciences Not Applicable	Not exceeding forty years
3.	Scientist-`D` Pay Band -3 ₹ 15600 39100 Plus grade pay of ₹ 7600	Essential Qualification: Master's degree in Science or Master's degree in Agricultural Sciences or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Textile Technology from a recognised University. Desirable Qualification: Master of Engineering or Master of Technology in Textile Technology OR Doctorate degree in Agricultural Sciences OR Doctorate degree in Engineering or	Seven years' experience in Research and Development and/or Academic Institutions and/ or Science and Technology organisations in Agriculture or Textile Technology Five years' experience in Textile Technology Four years' experience in Agricultural Sciences Three years' experience in	Not exceeding fifty years

		Technology NOTE : The particular field in which degree is required will be specified each time a vacancy is notified.	Textile Technology	
--	--	---	--------------------	--

Note : (1) Relaxation for Government servants and employees of Government autonomous bodies or Public Sector Undertakings upto five years in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government.

(2) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date prescribed for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

(3) The period of experience in the requisite discipline or area of work shall be counted with effect from the date of acquiring the prescribed minimum educational qualification in that grade.

5. **Method of recruitment.-** (1) The recruitment shall be made either by direct recruitment or absorption or deputation (including short-term contract) basis and the particular method of recruitment for each post shall be decided by the Board as per the educational qualification and the experience required for the particular post before advertising the post, as per the job requirements.

(2) **For ex-serviceman –** Deputation or re-employment.

(3) The scientists working in the Central or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government, Statutory or autonomous organisations in India or abroad may be recruited on absorption or deputation (including short-term contract) basis subject to fulfillment of the following conditions, namely:—

- (i) the scientists possess minimum educational qualifications and experience as specified in rule 4; and
- (ii) the scientists should be holding a post analogous to the post applied for; or
 - (a) for Scientist 'C' : with five years' service in the post in the pay band ₹ 15600-39100 plus grade pay of ₹ 5400 or equivalent; and
 - (b) for Scientist 'D' : with five years' service in the post in the pay band ₹ 15600-39100 plus grade pay of ₹ 6600 or equivalent;
- (iii) The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years;
- (iv) the departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officer. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for *in-situ* promotion under Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS); and
- (v) The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

6. **Selection Committee for direct recruitment.-** (1) **Selection Committee or Assessment Board:** The composition of the Selection Committee for making direct recruitment to the posts covered under the rules shall be as under : —

Chairperson : Member Secretary, Central Silk Board or his/her nominee.

Members : (i) Two experts not below the level of Scientist 'E' from other scientific organisation of the Government of India;

(ii) one scientist of Central Silk Board of the level of Scientist-D;

(iii) a nominee of the Ministry of Textiles of the rank of Deputy Secretary or Director.

(2) The approving authority of the composition of the Selection Committee or Assessment Board shall be the Member-Secretary, Central Silk Board. The members of the Selection Committee so constituted shall be at least one level above the post for which selection is being made.

(3) The approving authority of the recommendation of the Selection Committee or Assessment Board will be the appointing authority as specified in sub-rule (1) of rule 28 of Central Silk Board Rules, 1955.

(4) The quorum for the meeting of the Selection Committee or Assessment Board shall be four members including the Chairperson. The absence of a member of the Assessment Board other than Chairperson shall not invalidate the proceedings of the Assessment Board.

(5) Instructions for nomination of women members and members representing the minority community as issued by the Government of India from time to time shall be applicable.

(6) The Selection Committee or Assessment Board shall recommend a panel of candidates in the order of merit for each post or group of posts as advertised. The panel shall be valid for one year and operated for issuing the offer of appointment to the selected candidates, only to the extent of number of vacancies advertised. If any of the candidate(s) who has/have been issued the offer of appointment upto the extent of the notified vacancies does/do not accept the offer or does / do not join by the stipulated date, the next candidate in the panel shall be offered the post.

(7) Vacancies for which the selections are required to be made by the Board shall be decided by the Member-Secretary, Central Silk Board. The vacancies shall be advertised by the Central Office, Central Silk Board, Bangalore.

7. **Probation.**—(1) The selected candidates shall be on probation for a period of one year extendable twice by a period of six months maximum on each occasion.

(2) On completion of period of probation or extension thereof, the scientists shall if considered fit, be confirmed against the posts, if not already confirmed in the entry grade.

8. **Transfer.**—All scientists in the service of the Board service shall be liable to serve anywhere in India.

9. **Assessments and Promotions.**—(1) Promotion of scientists under these rules from one grade to the next higher grade, shall be made on the basis of Modified Flexible Complementing Scheme in terms of Government of India's O.M. No. AB-14017/37/2008-Estt. (RR), dated 10.09.2010 (hereinafter referred to as the said OM) as revised from time to time. On promotion of a scientist from one grade to the next higher grade, the post shall stand upgraded automatically as personal to the scientist concerned and after superannuation, the post shall revert back to the grade in which the post was earmarked initially.

(2) The assessment norms for *in-situ* promotion under Modified Flexible Complementing Scheme shall be rigorous with due emphasis on evaluation of scientific and technical knowledge so that only the scientists who have to their credit demonstrable achievements or higher level of technical merit shall be recommended for promotion under the Modified Flexible Complementing Scheme.

(3) There will be complete interchangeability of scientific posts without any restriction except that the total number of posts of Scientist-`B', `C', and `D', all together shall not exceed the total number of the sanctioned posts.

(4) Promotion at the level of Scientist-`B', `C', and `D' shall be made on the basis of:

- (i) preliminary screening by an Internal Screening Committee constituted as per sub-rule (1) of rule 10 for evaluation of annual work reports vis-à-vis the criteria for upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme; and
- (ii) assessment and interview by the Assessment Committee constituted as per sub-rule (1) of rule 11.

(5) The minimum residency period to be completed in a grade for consideration of assessment to the next grade shall be as under :

Pay band and grade pay or pay scale	Designation	Minimum residency period linked to
-------------------------------------	-------------	------------------------------------

		performance
Pay Band -3 ₹ 5400 ₹ 15600-39100	Scientist- 'B'	3 years
Pay Band -3 ₹ 6600 ₹ 15600-39100	Scientist- 'C'	4 years
Pay Band -3 ₹ 7600 ₹ 15600-39100	Scientist- 'D'	

(6) All scientists eligible according to the provisions of Modified Flexible Complementing Scheme and who meet the benchmark of 'Good' for Scientist-C and 'Very Good' for Scientist-D and above would be screened in terms of Annexure-I to the said OM. The Internal Screening Committee shall report the work of the scientists in Part-C of the reporting format which shall be available to the Assessment Committee.

(7) Exceptionally meritorious candidates having outstanding gradings shall be considered for relaxation in the residency period based on the recommendations of the Assessment Committee. The relaxation shall be for one year in a single occasion and it shall be limited to maximum of two occasions in their entire career. However, the assessment under Modified Flexible Complementing Scheme for next grade would only be three times and thereafter the scientist would be covered under Modified Assured Career Progression Scheme according to provisions of that Scheme. The scientist who has been granted any grade under Modified Assured Career Progression Scheme can be considered for next grade under Modified Flexible Complementing Scheme according to the eligibility and other provisions of Modified Flexible Complementing Scheme.

(8) Review for promotion by the Internal Screening Committee and Assessment Committee shall be done twice a year – before 1st January and 1st July of every year.

10. **Internal Screening Committee for Assessment and Promotion.**—(1) The Member-Secretary, Central Silk Board shall constitute an Internal Screening Committee in every case for evaluation of annual work reports vis-à-vis the Annual Performance Assessment Reports and other relevant records of all Scientists completing the prescribed residency period for short-listing.

(2) The Internal Screening Committee shall comprise of:

- (i) Director, Central Silk Board —Chairperson;
- (ii) One external expert —Member;
- (iii) A senior officer from Central Silk Board, Administration —Convener.

11. **Assessment Committee for Assessment and Promotion.**—(1) The Member-Secretary shall constitute an Assessment Committee to assess the work of the candidates who have qualified in the screening as per the recommendations of the Internal Screening Committee for their promotion. The members of the Assessment Committee so constituted shall be at least one level above the post for which selection is being made.

(2) The composition of the Assessment Committee shall comprise of:

- (i) An eminent external expert —Chairperson;
- (ii) two experts from other scientific organisation of Government —Members;
- (iii) a Director of any of the Central Silk Board Research Institutes —Member;
- (iv) a nominee of the Ministry of Textiles of the rank of Deputy Secretary or Director —Member.

(3) The quorum for the meeting of the Assessment Committee shall be four Members including the Chairperson. The absence of a Member of the Committee except Chairperson shall not invalidate the proceedings of the Assessment Committee.

(4) All the scientists who are screened in will be called for an interview by the Assessment Committee. The Assessment Committee would have the characteristic of an independent peer group for the assessment of the scientific content of the

work. The Assessment Committee shall document specifically through one page summary, the specific content of the work done justifying the merit for consideration under Modified Flexible Complementing Scheme.

(5) Scientists recommended by the Committee as 'Fit' for promotion' shall be so promoted from 1st January or 1st July as the case may be. Scientists who are found 'Not fit for promotion' as also those not qualified in the screening will be considered after a gap of one year if they are again recommended by the Internal Screening Committee. The effective date of promotion of those found eligible shall be from a prospective date only after the Appointing Authority has approved the recommendations of the Assessment Committee and no promotion with retrospective effect shall be admissible in any case under Modified Flexible Complementing Scheme.

(6) The approving authority of the recommendation of the Assessment Committee shall be the Appointing Authority as specified in sub-rule(1) of rule-28 of Central Silk Board Rules, 1955.

(7) (i) Where an eligible scientist is on foreign service or study leave in India or abroad, his /her case shall be considered from the date of resumption of duty in the Central Silk Board and financial benefit will accrue from the same date.

(ii) In case of an officer undergoing training or deputation in India or abroad under Fundamental Rules-51, his /her case shall be considered for in-situ promotion after completing the required residency period.

12. **Procedure for assessment of scientists who are under suspension / against whom disciplinary proceedings are pending.**—The assessment of the scientists who are under suspension or against whom disciplinary proceedings are pending shall be kept in sealed cover (as per procedure).

13. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

15. **Interpretation.**—Any question relating to interpretation of these rules shall be decided by the Central Government.

[F. No. 25012/54/99-(Silk)]

SITARAM GUPTA, Under Secy.